

**संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्य प्रदेश**

क्रमांक 9/नर्सिंग/सेल-1/2015 1334

भोपाल, दिनांक 1/11/2015

प्रति,

1. संचालक गैस राहत, एवं पुर्नवास विभाग म.प्र.।
2. संचालक कमला नेहरू चिकित्सालय, गैस राहत, एवं पुर्नवास विभाग,भोपाल।
3. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवायें म.प्र.।
4. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी म.प्र.।
5. समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक म.प्र.।
6. समस्त अधीक्षक क्षय चिकित्सालय म.प्र.।
7. समस्त ब्लॉक मेडीकल ऑफिसर म.प्र.।
8. प्राचार्य, बी.एस.सी. नर्सिंग महाविद्यालय जबलपुर/उज्जैन।
9. समस्त, प्राचार्य जनरल नर्सिंग प्रशिक्षण केन्द्र म.प्र.।
10. समस्त, प्राचार्य ए.एन.एम. प्रशिक्षण केन्द्र म.प्र.।

विषय :- लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ) तृतीय श्रेणी परिचारिका सेवा भर्ती, 1989 में संशोधन।

संदर्भ:- शासन का पत्र क्रमांक एफ 3-5/2008 सत्रह/मेडि-1 दिनांक 17.11.2015

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा अवगत कराया गया है कि लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ) तृतीय श्रेणी परिचारिका सेवा भर्ती नियम, 1989 में ब्रम्हस्वरूप समिति की अनुशंसाओं के अनुरूप संशोधन मध्यप्रदेश असाधारण राजपत्र में दिनांक 23 अक्टूबर 2015 को प्रकाशित किया गया है। संशोधित तृतीय श्रेणी परिचारिका सेवा भर्ती नियम, की "अनुसूची-एक" के अनुसार तृतीय श्रेणी नर्सिंग संवर्ग के पदों का वेतनमान एवं ग्रेड-पे, निम्नानुसार संशोधित किया गया है।

अनुक्रमांक	सेवा में सम्मिलित पदों का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	नियुक्ति प्राधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	प्रधान परिचारिका (मैट्रन)	287	तृतीय श्रेणी	पी.बी-2 9300-34800+4200	संचालक, स्वास्थ्य सेवायें
2	नर्सिंग सिस्टर	716	तदैव	पी.बी-2 9300-34800+3600	-तदैव-
3	सिस्टर शिक्षिका (सिस्टर ट्यूटर)	322	तदैव	पी.बी-2 9300-34800+3600	-तदैव-
4	स्टॉफ परिचारिका (महिला स्टॉफ नर्स) परिचारिका भर्ती नियम 1989 के प्रकाशन के पूर्व नियुक्त, महिला स्वास्थ्य परिदर्शक (लेडी हेल्थ विजिटर) जो नियुक्ति पूर्व से जी.एन.एम प्रशिक्षित है एवं समकक्ष वेतनमान प्राप्त कर रही है, भी सम्मिलित है।	8292	तदैव	पी.बी-1 5200-20200+2800	श्रेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवायें

सामान्य प्रशासन विभाग (वेतन आयोग प्रकोष्ठ) के आदेश क्रमांक एफ 2-6/1/वेआप्र/96 दिनांक 5/17 अक्टूबर, 2006 के अनुसार कॉलम (1) के अनुक्रमांक 1,2,3,4 में दर्शित पदों के कॉलम (5) में दर्शित वेतनमान दिनांक 1.4.2006 से लागू माने जायेंगे।

अतः निर्देशित किया जाता है कि आपके अधीन/अधीनस्त पदस्थ तृतीय श्रेणी नर्सिंग संवर्ग के कर्मचारियों का वेतनमान एवं ग्रेड पे उपरोक्तानुसार लागू कर, नियमानुसार वेतन/ऐरियर्स के भुगतान संबंधी कार्यवाही तत्काल प्रभाव से की जावें।

संलग्न उपरोक्तानुसार

(डॉ. जे.एल.मिश्रा)
संचालक (नर्सिंग)

01/12/2015 संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश।

भोपाल दिनांक 1/12/2015

पृ.क0 9/नर्सिंग/सेल-2/2015/1335
प्रतिलिपि : सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. स्टॉफ ऑफिसर, माननीय मुख्य सचिव म.प्र. शासन, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
3. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
4. प्रमुख सचिव म.प्र. शासन विधि एवं विधार्थी कार्य विभाग विन्ध्याचल भवन भोपाल।
5. आयुक्त स्वास्थ्य म.प्र।
6. अपर संचालक वित्त स्थानीय कार्यालय म.प्र।
7. एम.आई.एस. शाखा, स्थानीय कार्यालय।
8. आदेश नस्ति।

संचालक (नर्सिंग)

01/12/2015 संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

2001

Dir. Jalga

मध्यप्रदेश शासन,
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,
मंत्रालय

1

क्र 2008/सत्रह/मेडि-1

भोपाल, दिनांक 17/11/2015

प्रति,

आयुक्त,
स्वास्थ्य सेवारों, म.प्र.,
भोपाल।

विषय:-लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं) तृतीय श्रेणी परिचारिका सेवा भर्ती नियम, 1989 में संशोधन करने बाबत।

19 NOV 2015

2259

उपरोक्त विषयांतर्गत लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं) तृतीय श्रेणी परिचारिका सेवा भर्ती नियम, 1989 में संशोधन का गजट नोटिफिकेशन मध्यप्रदेश असाधारण राजपत्र में दिनांक 23 अक्टूबर, 2015 को प्रकाशित किया जा चुका है, जिसे www.govtpressmp.nic.in पर डाउनलोड किया जा सकता है। सुलभ संदर्भ हेतु नोटिफिकेशन की छायाप्रति संलग्न है।

अतः भर्ती नियमों में संशोधन अनुसार आगामी कार्यवाही करने का कष्ट करें।

000 (Narsingh)

20/11/15

(डॉ. मनी अहमद खॉन)

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय, भोपाल.

भोपाल, दिनांक /11/2015

पृष्ठा.क्रमांक एफ 3-5/2008/सत्रह/मेडि-1

प्रतिलिपि :-श्री सुरेन्द्र सिंह कौरव, प्रदेश अध्यक्ष, हेल्थ एण्ड मेडीकल एजुकेशन एम्पलाइज एसोसिएशन, कार्यालय एफ-2, जय प्रकाश चिकित्सालय, कैम्पस, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय, भोपाल

20/11/15

क्र 2323, दिनांक 19-11-15

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 430]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 23 अक्टूबर 2015—कार्तिक 1, शक 1937

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 23 अक्टूबर 2015

क्र. एफ-3-5-2008-सत्रह-मेडि-एक.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं) तृतीय श्रेणी परिचारिका सेवा भर्ती नियम, 1989 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में, अनुसूची एक, दो, तीन और चार के स्थान पर, निम्नलिखित अनुसूचियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :—

**“अनुसूची-एक
(नियम 5 देखिए)
वर्गीकरण, वेतनमान और सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या**

अनुक्रमांक	सेवा में सम्मिलित पदों का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	नियुक्ति प्राधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	प्रधान परिचारिका (मेट्रन)	287	तृतीय श्रेणी	पी.बी.-2 9300-34800 + 4200	संचालक, स्वास्थ्य सेवायें
2	नर्सिंग सिस्टर	716	तदैव	पी.बी.-2 9300-34800 + 3600	- तदैव -
3	सिस्टर शिक्षिका (सिस्टर ट्यूटर)	322	तदैव	पी.बी.-2 9300-34800 + 3600	- तदैव -
4	स्टाफ परिचारिका (महिला स्टाफ नर्स) परिचारिका भर्ती नियम 1989 के प्रकाशन के पूर्व नियुक्त, महिला स्वास्थ्य परिदर्शक (लेडी हेल्थ विजिटर) जो नियुक्ति पूर्व से जी.एन.एम. प्रशिक्षित हैं एवं समकक्ष वेतनमान प्राप्त कर रही हैं, भी सम्मिलित है।	8292	तदैव	पी.बी.-1 5200-20200 + 2800	क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें

टिप्पणी- सामान्य प्रशासन विभाग (वेतन आयोग प्रकोष्ठ) के आदेश क्रमांक एफ 2-6/1/वेआप्र/96 दिनांक 5/17 अक्टूबर, 2006 के अनुसार कॉलम (1) के अनुक्रमांक 1,2,3,4 में दर्शित पदों के कॉलम(5) में दर्शित वेतनमान दिनांक 1.4.2006 से लागू माने जायेंगे।

अनुसूची-दो
(नियम 6 देखिए)
भर्ती का तरीका

अनु. क.	पद का नाम	कर्तव्य पदों की कुल संख्या	भरे जाने वाले कर्तव्य पदों की संख्या का प्रतिशत			टिप्पणी
			सीधी भर्ती द्वारा (नियम 6 (1) (क) देखिये)	पदोन्नति द्वारा (नियम 6 (1) (ख) देखिये)	अन्य सेवाओं से व्यक्तियों के स्थानांतरण द्वारा (नियम 6(1) (ग) देखिये)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	मेड्रन	287	-	100%	-	-
2	नर्सिंग सिस्टर	716	5%	95%	-	-
3	सिस्टर शिक्षिका (सिस्टर ट्यूटर)	322	10%	90%		
4	स्टाफ परिचारिका (महिला स्टाफ नर्स)	8292	90% प्रशिक्षण उत्तीर्ण करने के पश्चात गुणावगुण के आधार पर आवंटन से नियुक्ति	10% (विभागीय ए.एन.एम./ एल.एच.व्ही. द्वारा जी.एन.एम.प्रशिक्षण उत्तीर्ण करने के पश्चात)	-	-

टिप्पणी :- सामान्यतया, जनरल नर्सिंग प्रशिक्षित नर्सों को स्टाफ नर्स के पद पर नियुक्त किया जाता है। इसके अतिरिक्त जब तक विभाग में ए.एन.एम. प्रशिक्षित (दो वर्षीय पाठ्यक्रम) महिला स्वास्थ्य परिदर्शक (2 वर्ष या 10 मास का पाठ्यक्रम) , तथा हायर सेकेण्डरी उत्तीर्ण अभ्यार्थी उपलब्ध हैं उन्हें कमशः ढाई वर्ष या 2 वर्ष का विभागीय जनरल नर्सिंग प्रशिक्षण दिए जाने के पश्चात स्टाफ नर्स के पद पर पदोन्नत किया जाएगा।

अनुसूची-तीन
(नियम 8 देखिये)
सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किये जाने वाले व्यक्तियों की आयु तथा अर्हताएं

अनु. क.	पद का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा	विहित शैक्षणिक अर्हता	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	नर्सिंग सिस्टर	25 वर्ष	45 वर्ष	1. एम0एस0सी0(नर्सिंग) अथवा 2. बी0एस0सी0 (नर्सिंग) अथवा 3. पोस्टबेसिक बी0एस0सी0 (नर्सिंग) अथवा 4. नर्सिंग प्रशासन में प्रमाण-पत्रोत्तर पाठ्यक्रम उत्तीर्ण साथ ही, (क) स्टाफ परिचारिका या समकक्ष पद पर 5 वर्ष की सेवा का अनुभव। (ख) महाकौशल नर्सिंग कौंसिल में पंजीकृत परिचारिका अथवा पंजीकृत प्रसाविका(मिडवाईफ)।	संचालनालय स्तर की चयन समिति 1. अपर/संयुक्त संचालक,—अध्यक्ष 2. उप संचालक (नर्सिंग) —सदस्य 3. अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जन जाति/ अन्य पिछड़े वर्ग का एक समस्तरीय अधिकारी — सदस्य
2	सिस्टर शिक्षिका (सिस्टर ट्यूटर)	25 वर्ष	45 वर्ष	1. एम0एस0सी0(नर्सिंग) अथवा 2. बी0एस0सी0 (नर्सिंग) अथवा 3. पोस्टबेसिक बी0एस0सी0 (नर्सिंग) अथवा 4. नर्सिंग प्रशासन में प्रमाण-पत्रोत्तर पाठ्यक्रम उत्तीर्ण साथ ही, (क) स्टाफ परिचारिका या समकक्ष पद पर 5 वर्ष की सेवा का अनुभव। (ख) महाकौशल नर्सिंग कौंसिल में पंजीकृत परिचारिका अथवा पंजीकृत प्रसाविका(मिडवाईफ)।	—तदैव—
3	स्टाफ परिचारिका (महिला स्टाफ नर्स)	21 वर्ष	45 वर्ष	1. बी0एस0सी0 (नर्सिंग) अथवा 2. जनरल नर्सिंग एवं ज्येष्ठ प्रसूति विज्ञान (सीनियर मिडवाइफरी) प्रशिक्षित, साथ ही महाकौशल नर्सिंग कौंसिल में पंजीकृत परिचारिका/पंजीकृत प्रसाविका (मिडवाईफ)	मध्यप्रदेश शासन द्वारा संचालित बी.एस.सी. नर्सिंग महाविद्यालय/ जी.एन.एम. प्रशिक्षण विद्यालय से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की काउन्सिलिंग के पश्चात् संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ द्वारा आवंटन किया जाएगा। समिति निम्नानुसार होगी :- 1. अपर/संयुक्त संचालक —अध्यक्ष 2. उप संचालक(नर्सिंग) — सदस्य 3. अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़े वर्ग का एक समस्तरीय अधिकारी — सदस्य

**अनुसूची-चार
(नियम 14 देखिये)**

पदोन्नति की प्रणाली, अनुभव, अर्हताएं और विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्य

अनु. क.	उस पद का नाम जिससे पदोन्नति की जानी है	उस पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जाएगी	अपेक्षित अनुभव एवं अर्हताएं	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्यों के नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	नर्सिंग सिस्टर	प्रधान परिचारिका (मेड्रन)	पाँच वर्ष	संचालनालय स्तरीय समिति 1. अपर/संयुक्त संचालक, - अध्यक्ष 2. उप संचालक(नर्सिंग) - सदस्य 3. अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग का एक समस्तरीय अधिकारी - सदस्य
2.	स्टाफ परिचारिका (महिला स्टाफ नर्स) परिचारिका भर्ती नियम 1989 के प्रकाशन के पूर्व नियुक्त की गई महिला स्वास्थ्य परिदर्शक (लेडी हेल्थ विजिटर) जो नियुक्ति पूर्व से जी. एन.एम. प्रशिक्षित हैं तथा समकक्ष वेतनमान प्राप्त कर रहीं हैं, भी सम्मिलित है।	नर्सिंग सिस्टर	पाँच वर्ष	-तदैव-
3.	स्टाफ परिचारिका (महिला स्टाफ नर्स)	सिस्टर शिक्षिका (सिस्टर ट्यूटर)	1. पाँच वर्ष 2. बी०ए०सी(नर्सिंग) या पोस्टबेसिक बी०ए०सी(नर्सिंग) या सिस्टर ट्यूटर का प्रमाण -पत्रोत्तर पाठ्यक्रम उत्तीर्ण। 3. महाकौशल नर्सिंग काउन्सिल में पंजीकृत परिचारिका(नर्स)/ पंजीकृत प्रसाविका (मिडवाइफ)	-तदैव-
4	महिला स्वास्थ्य परिदर्शक (लेडी हेल्थ विजिटर) /सहायक नर्स सह प्रसाविका (एकजलरी नर्स कम मिडवाइफ) 2 वर्षीय प्रशिक्षण उत्तीर्ण	स्टाफ परिचारिका (महिला स्टाफ नर्स)	1. पाँच वर्ष 2. विभागीय नर्सिंग और प्रसाविका प्रशिक्षित 3. पंजीकृत नर्स जो महाकौशल नर्सिंग परिषद से पंजीकृत हो।	-तदैव-

F.No. 3-5/2008/XVII/M-1 :: In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes the following amendments in the Madhya Pradesh Public Health & Family Welfare Department (Directorate of Health Services) Class III Nurses Service Recruitment rules, 1989, namely :-

AMENDMENTS

In the said rule, for Schedule-I, II, III and IV, the following Schedule shall be substituted, namely :-

``SCHEDULE-I`` (See Rules 5)

Classification, Scale of Pay and Number of Posts included in Service

Sr. No.	Name of Posts included in the service	Number of Posts	Classification	Pay Scale	Appointing Authority
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Matron	287	Class III	PB-2 9300-34800+ 4200	Director, Health Services
2	Nursing Sister	716	do	PB-2 9300-34800+ 3600	-do-
3	Sister Tutor	322	do	PB-2 9300-34800+ 3600	-do-
4	Staff Nurse(Female) Note - The post of Lady Health Visitor appointed before the publication of Recruitment Rules, 1989, General Nursing trained before joining & carrying Identical scale are also included	8292	do	PB-1 5200-20200+ 2800	Regional Director, Health Services

* Note - As per order No. F 2-6/1/PCC/96 dated 5/17 October, 2006, of General Administration Department (Pay Commission Cell) Pay scale shown in column No. (5) of post shown in Serial No. 1,2,3,4 of column No. (1) deem to be applicable w.e.f. 1-4-06.

SCHEDULE-II

(See Rules 6)
Method of Recruitment

Sr. No.	Name of Post	Total No of Duty Posts	Percentage of the Number of duty posts to be filled in			Remark
			By Direct Recruitment (See Rule 6 (1) (a))	By Promotion (See Rule 6 (1) (b))	By Transfer of persons from other services (See Rule 6 (1) (c))	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Matron	287	---	100%	---	---
2	Nursing Sister	716	5%	95%	----	---
3	Sister Tutor	322	10%	90%	----	----
4	Staff Nurse (Female)	8292	90% Appointment by allotment on merit basis after passing the training	10% (Departmental ANM/LHV after GNM training)	----	---

Note - Generally, General Nursing Trained Nurses are appointed to the post of staff Nurse, In addition when ANM Trained (2 Years course)/LHV trained (2 Years or 10 months course) and Higher Secondary passed candidates shall be available in the department, then they shall be promoted to the post of Staff Nurses after they undergo departmental General Nursing Training of 2½ years or 2 years respectively.

SCHEDULE-III
(See Rules 8)

Age and Qualification of Persons to be Appointed by Direct Recruitment

Sr. No.	Name of Post	Minimum Age limit	Maximum Age limit	Prescribed Educational Qualification	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Nursing Sister	25 Years	45 Years	1. M.Sc. (Nursing) or 2. B.Sc. (Nursing) or 3. Post Basic B.Sc. (Nursing) or 4. Post Certificate Course in Nursing Administration along with - (a) 5 Years Service experience on the post of Staff Nurse or equivalent post (b) Registered Nurse / Registered Midwife with Mahakoshal Nursing Council	Directorate Level Selection Committee 1. Additional/ Joint Director, - Chairman 2. Deputy Director (Nursing) - Member 3. One Officer of same status of Scheduled Castes / Scheduled Tribes / Other Backward classes - Member
2	Sister Tutor	25 Years	45 Years	1. M.Sc. (Nursing) or 2. B.Sc. (Nursing) or 3. Post Basic B.Sc. (Nursing) or 4. Post Certificate Course in Nursing Administration along with - (a) 5 Years Service experience on the post of Staff Nurse or equivalent post (b) Registered Nurse / Registered Midwife with Mahakoshal Nursing Council	--do--
3	Staff Nurse (Female)	21 Years	45 Years	1. B.Sc. (Nursing) or 2. General Nursing and Senior Midwifery trained along with Registered Nurse / Registered Midwife with Mahakoshal Nursing Council.	Selection Committee Allotment shall be done by Directorate of Health Services after Counselling of Candidates passing-out from B.Sc. Nursing colleges/GNM training schools run by Madhya Pradesh Government. Committee shall be as under :- 1. Additional/ Joint Director, - Chairman 2. Deputy Director (Nursing) - Member 3. One Officer of same status of Scheduled Castes / Scheduled Tribes / Other Backward classes - Member

SCHEDULE-IV
(See Rules 14)

Channel of Promotion, Experience, Qualification and Member of Departmental Promotion Committee

Sr. No.	Name of Post from which promotion is to be made	Name of the Post to which promotion is to be made	Required Experience and Qualification	Name of the Members of the Departmental Promotion Committee
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Nursing Sister	Matron	Five Years	Directorate Level Committee 1. Additional/Joint Director - Chairman 2. Deputy Director(Nursing) - Member 3. One Officer of same status of Scheduled Castes / Scheduled Tribes - Member
2	Staff Nurse(Female) The post of Lady Health Visitor appointed before the publication of Recruitment Rules, 1989, General Nursing trained before joining & carrying Identical scale are also included	Nursing Sister	Five years	- do -
3	Staff Nurse(Female)	Sister Tutor	1. Five Years 2. B.Sc. (Nursing) or Post Basic B.Sc. (Nursing) or Post Certificate Course of Sister Tutor. 3. Registered Nurse / Registered Midwife with Mahakoshal Nursing Council	- do -
4	Lady Health Visitor/ Auxiliary Nurse Cum Midwife (2 years training passed)	Staff Nurse	1- 5 Years 2- Departmental Nursing and Midwifery trained. 3- Registered Nurse with Mahakoshal Nursing Council	- do -

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सूरज डामोर, सचिव.

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 365]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 26 जुलाई 2011—श्रावण 4, शक 1933

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 26 जुलाई 2011

क्र. एफ. 3-12-2010-सत्रह-मेडि-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं) तृतीय श्रेणी परिचारिका सेवा भरती नियम, 1989 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

(1) अनुसूची एक में, अनुक्रमांक 3 (क) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक और उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :—

अनुक्रमांक	सेवा में सम्मिलित पदों का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	नियुक्ति अधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3 (क)	स्टाफ परिचारिका (स्टाफ नर्स).	7763	तृतीय श्रेणी	1290-1840	संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवायें.

(2) अनुसूची दो में, अनुक्रमांक 3 (क) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :—

अनु- क्रमांक	सेवा का नाम	पदों की कुल संख्या	भरे जाने वाले कर्तव्य पदों की संख्या का प्रतिशत			अभ्युक्तियां
			सीधी भरती द्वारा [नियम 6(1) (क) देखिये]	सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा [नियम 6(1) (ख) देखिए]	अन्य सेवाओं से व्यक्तियों के स्थानान्तरण द्वारा [नियम 6(1) (ग) देखिए]	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3 (क)	स्टाफ परिचारिका (स्टाफ नर्स).	7763	90 प्रतिशत (प्रशिक्षण उत्तीर्ण करने के पश्चात् गुणागुण के आधार पर आवंटन से नियुक्ति).	10 प्रतिशत	-	-

(3) अनुसूची तीन में, अनुक्रमांक 4 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक और उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :—

अनु क्रमांक	सेवा का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा	अपेक्षित शैक्षणिक अर्हताएं एवं प्रशिक्षण	अभ्युक्तियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“4.	स्टाफ परिचारिका (स्टाफ नर्स).	18 वर्ष (महिला अभ्यर्थी).	1. महिला अभ्यर्थी (सामान्य वर्ग) 35+10=45. 2. महिला अभ्यर्थी (आरक्षित वर्ग) अजजा/अजा/अ.पि. वर्ग 35+10+5=50. 3. विधवा परित्यक्ता तलाकशुदा महिला अभ्यर्थी (सामान्य वर्ग) 35+10+5=50. 4. विधवा परित्यक्ता तलाकशुदा महिला अभ्यर्थी (आरक्षित वर्ग) अजजा/अजा/अ.पि. वर्ग 35+10+5+5=55.	(1) अभ्यर्थी अनिवार्य रूप से भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, और जीव विज्ञान के साथ 10+2 अवश्य होना चाहिए. (2) बी.एस.सी. स्नातक नर्सिंग डिप्लोमा. (3) उत्तीर्ण अभ्यर्थी, मध्यप्रदेश नर्सिंग परिषद् से आर.एन.आर.एम. [रजिस्ट्रीकृत नर्स तथा रजिस्ट्रीकृत दाई (मिडवाइफ)] में रजिस्ट्रीकृत होना आवश्यक है. शासकीय संस्था से प्रशिक्षित अभ्यर्थी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न होने की दशा में मान्यताप्राप्त गैर सरकारी विद्यालयों/नर्सिंग महाविद्यालय से प्रशिक्षित महिला अभ्यर्थियों को स्टाफ नर्स के पद पर नियुक्ति हेतु विचार किया जाएगा. यदि मध्यप्रदेश राज्य के भीतर पर्याप्त संख्या में अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होते हैं तब अन्य राज्यों से बी.एस.सी. नर्सिंग/डिप्लोमा नर्सिंग प्रशिक्षित महिला अभ्यर्थियों के लिए एक बार छूट दी जाएगी.”	

(4) अनुसूची चार में, अनुक्रमांक 2, 3, 4 तथा 5 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक और उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :—

अनु- क्रमांक	पद का नाम जिससे पदोन्नति की जानी है	पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जानी है	अपेक्षित अनुभव एवं योग्यता	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्य का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“2.	स्टाफ परिचारिका (स्टाफ नर्स).	नर्सिंग सिस्टर/ हाउस कीपर.	5 वर्ष	(क) संचालनालय स्तर— 1. वरिष्ठतम संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं (मुख्यालय). -अध्यक्ष 2. संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं -सदस्य (नर्सिंग प्रशासन). [यदि वह वरिष्ठतम न हो तब अन्य उपसंचालक, स्वास्थ्य सेवाएं विधि/सतर्कता (मुख्यालय) सदस्य होगा.] 3. उपसंचालक, स्वास्थ्य सेवाएं (नर्सिंग) -सदस्य 4. सहायक नर्सिंग सलाहकार -सदस्य
3.	स्टाफ परिचारिका (स्टाफ नर्स).	सिस्टर शिक्षिका (सिस्टर ट्यूटर).	1. 5 वर्ष 2. बी.एस.सी. (नर्सिंग या पोस्ट बेसिक). 3. बी.एस.सी. (नर्सिंग या सिस्टर ट्यूटर का प्रमाण- पत्रोत्तर पाठ्यक्रम).	(क) संचालनालय स्तर— 1. वरिष्ठतम संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं (मुख्यालय). -अध्यक्ष 2. संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं -सदस्य (नर्सिंग प्रशासन). [यदि वह वरिष्ठतम न हो तब अन्य उपसंचालक, स्वास्थ्य सेवाएं विधि/सतर्कता (मुख्यालय) सदस्य होगा.] 3. उपसंचालक, स्वास्थ्य सेवाएं (नर्सिंग) -सदस्य 4. सहायक नर्सिंग सलाहकार -सदस्य
4.	स्टाफ परिचारिका (स्टाफ नर्स).	लोक स्वास्थ्य शिक्षक(ट्यूटर)	1. 5 वर्ष 2. बी.एस.सी. (नर्सिंग या पोस्ट बेसिक). 3. बी.एस.सी. (नर्सिंग या सिस्टर ट्यूटर का प्रमाण- पत्रोत्तर पाठ्यक्रम).	(क) संचालनालय स्तर— 1. वरिष्ठतम संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं (मुख्यालय). -अध्यक्ष 2. संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं -सदस्य (नर्सिंग प्रशासन). [यदि वह वरिष्ठतम नहीं हो तब अन्य उपसंचालक, स्वास्थ्य सेवाएं विधि/सतर्कता (मुख्यालय) सदस्य होगा.] 3. उप संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं (नर्सिंग) -सदस्य 4. सहायक नर्सिंग सलाहकार -सदस्य

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5.	स्टाफ परिचारिका (स्टाफ नर्स) महिला स्वास्थ्य परिदर्शक/सहायक नर्स- प्रसाविका 2 वर्षीय प्रशिक्षण उत्तीर्ण.	स्टाफ परिचारिका (स्टाफ नर्स)	1. 5 वर्ष 2. विभागीय नर्सिंग और प्रसाविका प्रशिक्षित. 3. पंजीकृत नर्स जो महाकोशल नर्सिंग परिषद् से पंजीकृत हो.	(ख) संभागीय स्तर समिति— 1. वरिष्ठतम मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी (मुख्यालय). -अध्यक्ष 2. जिले का वरिष्ठतम परिवार कल्याण-सह-स्वास्थ्य अधिकारी. -सदस्य 3. जिला चिकित्सालय की नर्सिंग अधीक्षक या मेट्रन.”

No. F. 3-12-2010-XVII-Medi-1.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh hereby makes the following amendment in the Madhya Pradesh Public Health and Family Welfare Department (Directorate of Health Services) Class III Nurses Service Recruitment Rules, 1989 namely:—

AMENDMENT

In the said rules, in the Schedule I, for serial number 3(A) and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely:—

Serial No.	Name of the Post included in the Service	Number of posts	Classification	Pay Scale	Appointing Authority
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3(A)	Staff Nurse	7763	Class III	1290-1840	Divisional Joint Director of Health Services.

(2) In Schedule II, for serial Number 3(A) and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely:—

S. No.	Name of the Service	Total No. of Posts	Percentage of the Number of the duty posts to be filled in			Remark
			By direct recruitment [See rule-6(1)]	By promotion of the members of service [See rule 6(b)]	By temporary transfer of persons from other services [See rule 6(c)(6)]	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3(a)	Staff Nurse	7763	90% (Appointment on Allotment on merit basis after passing the training)	10%	-	

(3) In Schedule III, for serial Number 4 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely:—

Serial No.	Name of the Service	Minimum age limit	Maximum age limit	Required Educational Qualifications and training	Remark
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"4.	Staff Nurse	18 years (Female candidate)	1. Female Candidates (General Category) 35+10=45 2. Female Candidates (Reserve category ST/SC/OBC/ 35+10+5=50 3. Widow, Separated Divorcee Female Candidate (General Category) 35+10+5=50 4. Widow, Separated Divorcee Female Candidate (Reserve category ST/SC/OBC) 35+10+5+5=55	(1) Candidates must possess 10+2 with Physics, Chemistry and Biology. (2) B.Sc. Graduate Nursing degree/diploma Nursing. (3) Passed candidates must have registered in R.N.R.M. (Registered Nurse and Registered Midwife) from Madhya Pradesh Nursing Council. In such cases where sufficient number of trained candidate from Government Institutes are not available, then candidates trained from recognised Non Government Schools/Colleges of Nursing, Female candidates will be considered for appointing on the post of Staff Nurse. If sufficient number of candidates are not available within the State of Madhya Pradesh, one time relaxation shall be given for female candidates from the trained BSC Nursing/Diploma Nursing from other states."	

(4) In Schedule IV, for serial Number 2, 3, 4 and 5 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely:—

Serial No.	Name of post from which promotion is to be made	Name of the post to which Promotion is to be made	Required Experience and Qualification	Name of the member of the Departmental promotion Committee
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"2.	Staff Nurse	Nursing Sister/ House Keeper	5 years	(A) Directorate Level- 1. Senior Most Joint Director Health Services (Headquarters)-Chairman 2. Joint Director of Health Services -Member

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				(Nursing Administration) [If he is not senior most, then other Deputy Director of Health Services Law/Vigilance (Headquarter) Shall be the Member.]
				3. Deputy Director of Health Services (Nursing)-Member
				4. Assistant Nursing Advisor -Member
3.	Staff Nurse	Sister Tutor	1. 5 years 2. B.Sc. (Nursing or Post Basic) 3. B.Sc. (Nursing or Post Certificate course of Sister Tutor)	(A) Directorate Level- 1. Senior Most Joint Director Health Services (Headquarters)-Chairman 2. Joint Director of Health Services -Member (Nursing Administration) , [If he is not senior most, then other Deputy Director of Health Services Law/Vigilance (Headquarter) Shall be the Member.] 3. Deputy Director of Health Services (Nursing) -Member 4. Assistant Nursing Advisor -Member
4.	Staff Nurse	Public Health Tutor	1. 5 years 2. B.Sc. (Nursing or Post Basic) 3. B.Sc. (Nursing or Post Certificate course of Sister Tutor)	(A) Directorate Level- 1. Senior Most Joint Director Health Services -Chairman (Headquarters) 2. Joint Director of Health Services -Member (Nursing Administration) [If he is not senior most, then other Deputy Director of Health Services Law/Vigilance (Headquarter) Shall be the Member.] 3. Deputy Director of Health Services (Nursing) -Member 4. Assistant Nursing Advisor -Member
5.	LHV Auxiliary Nurse Mid-Wifery	Staff Nurse	1. 5 years 2. Departmental Nursing and Midwifery trained. 3. Registered Nurse Registered with M.K. Nursing council.	(B) Division Level Committee- 1. Senior Most Chief Medical & Health Officer -Chairman (Head quarters). 2. Senior Most District Family Welfare cum Health Officer-Member. 3. Nursing Superintendent Matron of District Hospital.”.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश जैन, उपसचिव.